दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE भारत INDIA Rs.10

दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE भारत INDIA Rs.10

38

मान्नीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2014 रिवीजन R - 2345-I/14

करणसिंह गुर्जर पिता श्री हीरालालजी गुर्जर, व्यवसाय खेती, निवासी–मकान नंबर 123, जवाहर मार्ग, नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

---आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री .... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26-6-14 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन 26.6.14

विरूद्ध

1. इन्दिरा गांधी गृह निर्माण सहकारी साख संस्था मर्यादित, नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)
2. हीरालाल गुर्जर पिता श्री किशनलाल गुर्जर, आयु 70 वर्ष, निवासी–70, जवाहर मार्ग, नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

---रेस्पान्डेंट्स

429
26/6/2014

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1956

21.7.14

न्यायालय तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 21/अ–6–अ/2012–13 में दिनांक 06–06–2014 में प्रसारित अंतरिम आदेश जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16–06–2014 को प्राप्त होने से समयावधि में यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

मान्नीय महोदय,

3 आवेदक की ओर से निम्नलिखित पुनरीक्षण आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :–

XXIX(a)-BR(H)-11

(38)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2345-एक/14 **जिला - उज्जैन**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत कुमार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	